भारत सरकार
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3129
बुधवार, दिनांक 19 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जा की समस्या का समाधान</u>

3129. श्री विष्णु दयाल रामः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अल्पसेवित क्षेत्रों में ऊर्जा समस्याओं को कम करने के उद्देश्य से निर्मित विशिष्ट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भारत में विशेषकर सार्वभौमिक ऊर्जा सुलभता के संबंध में सतत् विकास लक्ष्य (एसडीजी)-7 के लक्ष्य को प्राप्त करने में नवीकरणीय ऊर्जा की भूमिका का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) और (ख): नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है, जिसमें अल्पसेवित क्षेत्रों में भी ऊर्जा पहुंच प्रदान करना शामिल है। ऐसी योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

(ग) माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कॉप-26 में की गई घोषणा के अनुरूप, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म स्रोतों से 500 गीगावाट स्थापित बिजली क्षमता प्राप्त करने की दिशा में कार्य कर रहा है। दिनांक 28.02.2025 की स्थिति के अनुसार, देश में कुल 214.68 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित की जा चुकी है, जिसमें 102.57 गीगावाट सौर विद्युत, 48.59 गीगावाट पवन विद्युत, 11.45 गीगावाट जैव विद्युत और 52.07 गीगावाट जल विद्युत शामिल है। देश में कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में इसका 45 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है।

अनुलग्नक

'नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जा की समस्या का समाधान' के संबंध में पूछे गए दिनांक 19.03.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3129 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कार्यशील प्रमुख सौर ऊर्जा योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण

1. 40,000 मेगावाट क्षमता की स्थापना के लक्ष्य के साथ सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए योजना। इस योजना के अंतर्गत भूमि, सड़क, विद्युत निकासी प्रणाली, जल की सुविधाएं जैसी अवसंरचना सभी सांविधिक स्वीकृतियों/अनुमोदनों के साथ विकसित की जाती हैं। इस प्रकार, यह योजना देश में उपयोगिता-स्तरीय सौर परियोजनाओं के शीघ्र विकास में मदद करती है।

2. रूफटॉप सौर की स्थापना और एक करोड़ घरों के लिए प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए पीएम सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना।

3. उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूलों (भाग-I और II) में गीगावाट स्तर की उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के लिए "राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम" नामक उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना।

4. छोटे ग्रिड कनेक्टेड सौर ऊर्जा विद्युत संयंत्रों, स्टैण्ड-अलोन, सौर चालित कृषि पंपों और मौजूदा ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों के सौरीकरण को बढ़ावा देने के लिए पीएम-कुसुम योजना। यह योजना न केवल किसानों के लिए, बल्कि राज्यों और डिस्कॉमों के लिए भी लाभदायक है। राज्यों को कृषि उपभोक्ताओं को बिजली पर दी जा रही सब्सिडी की बचत होगी और डिस्कॉमों को सस्ती सौर विद्युत मिलेगी, जिससे अंततः में पारेषण एवं वितरण हानियाँ नहीं होंगी।

5. सरकारी उत्पादकों द्वारा स्वयं के उपयोग के लिए अथवा सरकार/सरकारी संस्थाओं के उपयोग के लिए सीधे अथवा वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) के माध्यम से व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) सहायता के साथ 12000 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सौर फोटोवोल्टेक (पीवी) विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू) की योजना चरण-II (सरकारी उत्पादक योजना)।

6. भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिवों के उत्पादन, उपयोग और निर्यात हेतु वैश्विक हब बनाने के लक्ष्य से 19,744 करोड़ रु. के परिव्यय से राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया।

7. ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (जीईसी): अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए इन्ट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन प्रणाली तैयार करना। कुल 10 राज्यों में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं से विद्युत की निकासी के लिए ट्रांसमिशन अवसंरचना स्थापित

करने के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाती है (जीईसी के दोनों चरणों पर विचार करते हुए):

(i) आठ राज्यों में इन्ट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन प्रणाली ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण-I।

(ii) ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण-II

क) सात राज्यों में इन्ट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन प्रणाली

ख) लद्दाख में 13 गीगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए इन्टर-स्टेट ट्रांसमिशन प्रणाली

8. 1 गीगावाट अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं (गुजरात और तमिलनाडु प्रत्येक के अपतट पर 500 मेगावाट) की स्थापना और चालू करने के लिए अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं तथा अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए लॉजिस्टिक्स आवश्यकताओं को भी पूरा करने के लिए दोनों बंदरगाहों के उन्नयन के लिए व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) योजना।

9. जैव ऊर्जा कार्यक्रमः

- अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रमः शहरी, औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट/अवशेषों से ऊर्जा संबंधी कार्यक्रम।
- बायोमास कार्यक्रमः ब्रिकेट्स और पैलेट्स के विनिर्माण में सहायता और उद्योगों में बायोमास (गैर-खोई) आधारित सह-उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए योजना।
- बायोगैस कार्यक्रमः पारिवारिक प्रकार के बायोगैस संयंत्रों को बढ़ावा देने के लिए।

10. प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) के अंतर्गत नई सौर विद्युत योजना (जनजातीय और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) बसाहटों/गांवों के लिए), जहाँ ग्रिड के माध्यम से बिजली आपूर्ति तकनीकी-आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है, में ऑफ-ग्रिड सौर प्रकाश व्यवस्था प्रदान करने का प्रावधान है।

*****